कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001
E-Mail dfotsbetul@mp.gov.in Fax & Phone : 07141-234266

बैतूल, दिनांक /06/2019

क्रमांक/मा.चि./

प्रति,

मैनेजर
नेटवर्क सर्विस म.प्र. एवं छत्तीसगढ़
आइडिया सेल्लूर लिमिटेड
"बी" ब्लॉक II फ्लोर, जी.टी.बी. काम्पलेक्स
न्यू मार्केट, भोपाल–462003 (म.प्र.)

विषय :– बैतूल जिले में 4^{G} भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन के निर्माण हेतु 0.021 हे0 वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक-FP/MP/others/29682/2017)

संदर्भ :– 1. म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक–एफ/5/18/2002/10–3 भोपाल दिनांक 18.11.2004 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनाक 14.12.2005 तथा 01.07.2009
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/विविध/2018/10–11/512 दिनांक 22.02.2018, 3458 दिनाक 26.10.2019, 1635 दिनांक 30.05.2020 तथा 1662 दिनांक 03.06.2020
3. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पृ. पत्र क्र./मा.चि./1989 दिनांक 02.06.2020
4. कार्यालयीन क्र./मा.चि./2524 दिनांक 26.04.2019
5. आपका पत्र दिनांक 20.06.2020

– 0 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालयीन संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में आमला वनपरिक्षेत्र अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र की कुल लंबाई 460 मीटर में मार्ग के किनारे–किनारे डाली गयी भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक सहमति प्रदत्त वनकक्षवार वनक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	परिक्षेत्र	वनकक्ष क्रमांक/वनखण्ड का नाम	ओ.एफ.सी. लाईन की लम्बाई (मी.में)	ओ.एफ.सी. लाईन की चौड़ाई (मी.में)	आवेदित वनक्षेत्र रकबा (हे.में.)	वन प्रभावित क्षेत्र की 50–50 मीटर के अन्तराल पर अक्षांश–देशांश	
1	2	3	4	5	6	7	
1	आमला	पी.एफ.–902 बरसाली	210	0.30	0.0063	N-21°55'0.35"	N-21°54'57.62"
						E-78°01'57.60"	E-78°01'53.22"
2		ग्राम–बरसाली, आरेंज एरिया ख.न.–161	104	0.30	0.0031	N-21°55'5.56"	N-21°55'1.79"
						E-78°02'2.17"	E-78°01'59.25"
3		ग्राम–बरसाली, आरेंज एरिया ख.न.–150	30	0.30	0.0009	N-21°54'54.81"	N-21°54'55.00"
						E-78°01'32.65"	E-78°01'30.27"
4		ग्राम–बरसाली, आरेंज एरिया ख.न.–143	116	0.30	0.0035	N-21°54'53.85"	N-21°54'5.55"
						E-78°01'26.97"	E-78°01'24.72"
		योग :–	460		0.014		

विषयांकित प्रकरण बिना स्वीकृति ओ.एफ.सी. लाईन डालने का कार्य वर्ष–2016 में कर लिये जाने से हुये उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार आकलित दण्ड स्वरूप एन.पी.व्ही. की राशि 43820/– एवं ओ.एफ.सी. लाईन विच्छेदन (दाण्डिक NPV की राशि जमा नहीं करने के कारण) में व्यय धनराशि 2000/– रू. आपके द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र./एफ–5/विविध/2020/1662 दिनाक 03.06.2020 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.11.2004 एवं 01.07.2009 द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्रयोग में लाते हुए विषयांकित प्रकरण में प्रभावित संरक्षित वनक्षेत्र रकबा 0.014 हे. में मार्ग के किनारे–किनारे "राईट ऑफ वे" के अंतर्गत उपरोक्तानुसार जी.पी.एस. रीडिंग के अनुसार बिछाई गई भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल लाईन हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की अंतिम **औपचारिक स्वीकृति** निम्न दर्शित शर्तों के अधीन जारी की जाती है :–

1. वनभूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति केवल मार्ग के किनारे–किनारे "राईट ऑफ वे" तथा उपरोक्त दर्शित जी.पी.एस. रीडिंग के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के लिए ही दी जा रही है (राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है)।
2. वनभूमि पर आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ति का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ाई से अधिक नही होगा। यदि 0.50 मीटर चौड़ाई एवं 1.65 मीटर गहराई से अधिक खुदाई पायी गई, तो नियमानुसार प्रचलित वन विधानों के अंतर्गत संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

3. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
5. बिछाई गई भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन के रखरखाव की अनुमति आवेदक संस्थान द्वारा मांग करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पृथक से दी जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ति के निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
7. समतलीकरण का कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन् नहीं किया जायेगा।
8. नाली खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जायेगी तथा खन्ति में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जायेगा और न ही किसी भी वृक्षों की कटाई छटाई की जावेगी।
9. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या भूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
10. यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं अधोहस्ताक्षर (वनमंडलाधिकारी) द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है, तो यह शर्त संस्थान को मान्य होगी।
11. यह स्वीकृति "राईट ऑफ वे" के तहत केवल वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि के लिए जारी की जा रही है, यदि प्रकरण में राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है तो आवेदक संस्थान इसके लिये जिम्मेदार होगा।
12. यदि आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी, तथा संस्थान के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(पी.डी. ग्रेबियल)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल, दिनांक 24/06/2020

पृ0क्र0/मा0चि0/ 2840
प्रतिलिपि :– कार्यालयीन पृ.पत्र क्र./मा.चि./2525 दिनांक 26.04.2019 के तारतम्य में :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्रों के परिपालन में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि यह औपचारिक स्वीकृति आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के आधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। स्वीकृति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे–बड़े झाड़ के जगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियॉं सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व विभाग के छोटे–बड़े झाड़ के जगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वनमंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की जा सके।
4. परिक्षेत्र अधिकारी आमला (सा.) की ओर मय सहपत्र के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। औपचारिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन होना सुनिश्चित करें। अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लघंन पाये जाने की स्थिति में तत्काल संबधितों के विरूद्ध नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही कर वनमंडल कार्यालय को सूचित करे। इस संबंध में अपने अधिनस्थ संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं बीटगार्ड को अनिवार्य रूप से निर्देशित करें।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल